राष्ट्रीय राजस्व लोक अदालत बैंच सं. 2
(न्यायालय :- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर,
जिला श्रीगंगानगर)

विमला देवी बनाम सरकार
प्रा.पत्र सं. 59/22 जीसीएमएस आईडी 2022/89
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

12.03.2022

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, (माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय), श्रीगंगानगर द्वारा आदेश क्रमांक/स्था/ने.लो.अ./2022/21 दिनांक 10.03.2022 के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत (राजस्व न्यायालयों) हेतु गठित की गई बैंच सं. 2 के समक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा प्रकरण लोक अदालत में रैफर किए जाने के परिणामस्वरूप आज यह पत्रावली लोक अदालत बैंच के समक्ष पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गुडडी के स्थान पर विमला देवी दर्ज करने के ओदश पारित करने हेतु निवेदन किया। प्रकरण में अप्रार्थी राज. सरकार जरिए तहसीलदार राज्य पक्ष की ओर से तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./3148 दिनांक 10.03.2022 के द्वारा निवेदन किया गया हैं कि "नगरपालिका रायसिंहनगर वारिस प्रमाण पत्र में प्रार्थीया का नाम गुडडी उर्फ विमला देवी अंकित हैं जबकि इंतकाल दर्ज करते समय प्रार्थीया का नाम गुडडी दर्ज किया गया हैं। प्रार्थीया का नाम गुडडी उर्फ विमला देवी दुरूस्त किया जाना उचित हैं।"

मुताबिक रिपोर्ट प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष द्वारा भी प्रार्थना पत्र अनुसार दुरूस्ती करने की सिफारिश की गयी हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 14 एसएडी तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 36 मु.नं. 7 व 6 की कुल 9.462है. कमाण्ड मय खाला भूमि के खातेदार गुडडी पुत्र मांगीलाल 1/6 हिस्सा के स्थान पर गुडडी उर्फ विमला देवी पुत्र मांगीलाल 1/6 हिस्सा की दुरूस्ती कर दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन यथावत रहेगा।

पत्रावली फैंसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच
रायसिंहनगर

12/3/22
अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.05.12 11:53:54 IST
Reason: SelfAttested